रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012025-259846
CG-DL-E-02012025-259846

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5227] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 2024/पौष 10, 1946
No. 5227] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 2024/PAUSHA 10, 1946

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2024

(ईपी अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किया जाएगा)

का.आ. 5647(अ)— केंद्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खतरनाक सूक्ष्म जीवों/आनुवंशिक रूप से तैयार किए गए जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण नियम, 1989 में निम्नलिखित संशोधन जारी करने का प्रस्ताव करती है। तदनुसार, मसौदा संशोधन अधिसूचना इससे प्रभावित होने की संभावना वाले लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, और इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा संशोधन पर इस संशोधन अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा।

मसौदा संशोधन अधिसूचना में निहित प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति या सुझाव देने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति यथा निर्दिष्ट अवधि के भीतर इसे लिखित रूप में केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ सचिव, पर्यावरण, वन और

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003 को प्रेषित कर सकता है तथा इसे इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के पश्चात् साठ दिन की अवधि पूरी होने पर अथवा इसके पूर्व ई-मेल आईडी: geac.secretariat@gov.in पर भी भेजा जा सकता है।

मसौदा अधिसूचना

चूंकि, केन्द्रीय सरकार ने जीन प्रौद्योगिकी और सूक्ष्म जीव के अनुप्रयोग के संबंध में पर्यावरण, प्रकृति और स्वास्थ्य की रक्षा के उद्देश्य से सा.का.नि. 1037 (अ) दिनांक 05.12.1989 के तहत खतरनाक सूक्ष्म जीवों / आनुवंशिक रूप से तैयार किए गए जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण नियम, 1989 जारी किए थे।

और चूंकि, "जीन कैंपेन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य" शीर्षक वाली रिट याचिका संख्या 115/2004 और इससे संबंधित मामले, जो सामूहिक रूप से आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (जीएमओ) के पर्यावरणीय उत्सर्जन से संबंधित हैं, में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 23.07.2024 को निर्णय सुनाया गया था।

और चूंकि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 23.07.2024 को रिट याचिका(सी) संख्या 115/2004 में “जीन कैम्पेन एवं अन्य बनाम भारत संघ” शीर्षक से दिए गए आदेश के सर्वसम्मति वाले भाग में तथा इससे जुड़े मामलों में निर्देश दिया है कि भारत संघ को यह अनिवार्यत: सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने वाले किसी भी विशेषज्ञ के सभी प्रमाण-पत्र और पिछले अभिलेखों का सावधानीपूर्वक सत्यापन किया जाना चाहिए तथा हितों के टकराव, यदि कोई हो, की घोषणा की जानी चाहिए तथा विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके इस टकराव को उचित रूप से कम किया जाना चाहिए। इस संबंध में वैधानिक बल वाले नियम बनाए जा सकते हैं।

अतः अब, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार खतरनाक सूक्ष्म जीवों/आनुवंशिक रूप से तैयार किए गए जीव या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण नियम, 1989 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती हैं इन नियमों को खतरनाक सूक्ष्म जीवों / आनुवंशिक रूप से तैयार किए गए जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण (संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा और यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे:-

उक्त नियमों में :-

1. नियम (3) में, उपनियम (v) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा :-

(vi) "हितों का टकराव" से तात्पर्य किसी सदस्य के किसी व्यक्तिगत हित या संबंध से है, जो किसी मामले में समिति के निर्णय को प्रभावित करने की संभावना रखता है, जैसा कि किसी स्वतंत्र तीसरे पक्ष द्वारा देखा जाता है।

2. नियम 4 के बाद निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा :-

4 (क) विशेषज्ञ सदस्यों के लिए हितों के टकराव संबंधी संहिता

नियम 4 में निर्दिष्ट समितियों के विशेषज्ञ सदस्य, जो किसी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, अनुसूची II में निर्दिष्ट हितों के टकराव संबंधी संहिता का पालन करेंगे।

3. मूल अधिसूचना में जहां कहीं भी 'अनुसूची' शब्द का उल्लेख है, उसे 'अनुसूची-I' पढ़ा जाएगा।

4. अनुसूची- I के पश्चात् अनुसूची-II अंत:स्थापित की जाएगी।

अनुसूची-II

[नियम 4 (क) देखें]

नियम 4 क में निर्दिष्ट समितियों के विशेषज्ञ सदस्य (सदस्यों) के लिए हितों के टकराव संबंधी संहिता

क. सामान्य सिद्धांत

1. विशेषज्ञ सदस्य को अपने हितों का प्रकटन करना होगा, जो उसके कर्तव्यों के साथ टकराव पैदा कर सकते हैं।

2. इसके अलावा, विशेषज्ञ सदस्य यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा कि उसके हितों के टकराव जिसके अध्यधीन वे हो सकते हैं से समिति के किसी निर्णय पर कोई प्रभाव न पड़े।

ख. कार्यसूची मदों के संबंध में संघर्ष

1. किसी विशेषज्ञ सदस्य को, जिसका समिति की बैठक में विचारार्थ आने वाले कार्यसूची की किसी मद से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध हो, बैठक से पूर्व अपने हित की प्रकृति का प्रकटन करना होगा।

2. विशेषज्ञ सदस्य ऐसे मामलों के संबंध में समिति के किसी विचार-विमर्श या चर्चा में भाग नहीं लेंगे, सिवाय इसके कि समिति द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किए जाने पर वे पेशेवर परामर्श प्रदान कर सकते हैं।

ग. हितों के टकराव के प्रबंधन की प्रक्रिया

1. प्रत्येक विशेषज्ञ सदस्य समिति में विशेषज्ञ सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति के तुरंत बाद इस अनुसूची के प्रपत्र-I में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा।

2. प्रपत्र-I में प्रस्तुत घोषणा को संबंधित समिति के रिकार्ड के रूप में रखा जाएगा।

3. विशेषज्ञ सदस्य को संबंधित समिति के अध्यक्ष के समक्ष प्रपत्र-II में यथाशीघ्र हितों के टकराव का प्रकटन करना होगा।

4. यदि विशेषज्ञ सदस्य को संदेह हो कि हितों का टकराव है, तो वह संबंधित समिति के अध्यक्ष से समिति के सदस्य सचिव/आयोजक के माध्यम से निर्णय मांगेगा।

5. यदि समिति के अध्यक्ष यह निश्चय करते हैं कि कार्यसूची की किसी विशेष मद में विशेषज्ञ सदस्य की भागीदारी के संबंध में हितों का टकराव उत्पन्न हो गया है, तो वे ऐसे विशेषज्ञ सदस्य को उस विशेष कार्यसूची मद से विलग रहने की अनुमति दे सकते हैं।

प्रपत्र-I

समिति के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्ति के समय घोषणा

1. मैं, एतद्वारा, घोषणा करता हूँ कि पिछले 10 वर्षों में, मैंने नीचे उल्लिखित संस्थानों/संगठनों में काम किया है:

क्र. सं.	संस्था/संगठन का नाम	तारीख से	तारीख तक

2. मैं, एतद्वारा, वचन देता हूँ कि मैं केवल अपनी व्यावसायिक विशेषज्ञता के आधार पर निष्पक्ष एवं वस्तुपरक निर्णय लूंगा।

मैं, एतद्वारा, वचन देता हूँ कि यदि मेरे कार्यकाल के दौरान कोई टकराव उत्पन्न होता है, तो मैं समिति के अध्यक्ष को अविलंब सूचित करूंगा और मामले से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने से विरत रहूँगा।

हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम:

संस्थागत संबद्धता:

दिनांक:

स्थान:

प्रपत्र-II

किसी प्रकार के हित संघर्ष हेतु घोषणा प्रपत्र

मैं एतद्वारा व्यक्त करता हूँ कि कार्यसूची की मद के संबंध में मेरा हित संघर्ष निम्नानुसार है।

.....

1. .....
2. .....
3. .....

उर्पयुक्त उल्लिखित हित संघर्ष को ध्यान में रखते हुए मुझे बैठक में अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाए।

हस्ताक्षर

नाम:
पदनाम:
संस्थागत संबंधन:
तारीख:
स्थान:

[फा.सं. सी-12015/3/2022-सीएस-III]
रघु कुमार कोडाली, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पणी- उत्पादन, उपयोग, आयात, निर्यात और खतरनाक सूक्ष्म जीव/आनुवंशिक रूप से अभियांत्रिक जीव अथवा कोशिकाओं का भंडारण नियमावली, 1989 को भारत के राजपत्र, असाधारण में तारीख 05 दिसंबर, 1989 को सा.का.नि. 1037(अ) के तहत प्रकाशित किया गया था, जो अधिसूचना संख्या का.आ. 677(अ) के तहत तारीख 13 सितंबर, 1993 को प्रभावी हुए और इसके बाद अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 493(अ), तारीख 14 जुलाई, 2005, सा.का.नि. 616(अ), तारीख 20 सितंबर, 2006, का.आ. 1519(अ), तारीख 23-8-2007, का.आ. 411(अ), तारीख 25-2-2008, का.आ. 2519(अ), तारीख 3-10-2008, का.आ. 800(अ), तारीख 17-3-2009, का.आ. 2884(अ), तारीख 9-11-2009, का.आ. 828(अ), तारीख 5-4-2010, का.आ. 2478(अ), तारीख 4-10-2010, सा.का.नि. 613(अ), तारीख 16 जुलाई, 2010,सा.का.नि. 1(अ), तारीख 23 दिसंबर, 2010,का.आ. 2312(अ), तारीख 30-9-2011, का.आ. 2303(अ), तारीख 26-9-2012, का.आ. 953(अ), तारीख 05-4-2013, का.आ. 3113(अ), तारीख 14-10-2013, का.आ. 999(अ), तारीख 01-4-2014, का.आ. 2634(अ), तारीख 09-10-2014, का.आ. 940(अ), तारीख 26-3-2015 के तहत इसमें संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December , 2024

(To be notified under the EP Act, 1986)

S.O. 5647 (E)—Whereas, the Central Government proposes to issue following amendment in the Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Micro-Organisms/ Genetically Engineered Organisms or Cells Rules, 1989 in exercise of the power conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986). Accordingly, the draft amendment notification is hereby published for the information of public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft amendment shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the

date on which copies of the gazette containing this amendment notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposal contained in the draft amendment notification may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh road, New Delhi - 110003, and may be sent to e-mail id: geac.secretariat@gov.in on or before sixty days after the publication of this notification.

Draft Notification

WHEREAS, the Central Government vide G.S.R.1037(E) dated 05.12.1989 issued Rules for the Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Micro-Organisms/ Genetically Engineered Organisms or Cells Rules, 1989 with a view to protect the environment, nature and health, in connection with the application of gene technology and micro-organism.

AND WHEREAS, judgement in Writ Petition No. 115 of 2004 titled as "Gene Campaign & Anr. Vs. UOI & Ors." and its connected matters collectively relating to environmental release of Genetically Modified Organisms(GMOs), was pronounced by the Hon'ble Supreme Court of India on 23.07.2024.

AND WHEREAS, the Hon'ble Supreme Court in the consensus part of order dated 23.07.2024 in WP(C) No. 115 of 2004 titled as "Gene Campaign & Anr Vs. Union of India" and its connected matters has directed that Union of India must ensure that all credentials and past records of any expert who participates in the decision-making process should be scrupulously verified and conflict of interest, if any, should be declared and suitably mitigated by ensuring representation to wide range of interests. Rules on this regard may be formulated having a statutory force.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendments in Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Micro-Organisms/ Genetically Engineered Organisms or Cells Rules, 1989. These rules shall be called as the Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Micro-Organisms/ Genetically Engineered Organisms or Cells (Amendment) Rules, 2024 and shall come into force from the date of its publication in official gazette :-

In the said rules :-

1. In rule (3), after sub-rule (v) following shall be inserted :-

(vi) "Conflict of interest" means any personal interest or association of a Member, which is likely to influence the decision of the Committee in a matter, as viewed by an independent third party.

2. After rule 4 the following shall be inserted :-

4(A) **Code On Conflict Of Interest For Expert Members**

The Expert member of the committees, as specified at Rule 4, whoparticipate in any decision making process, shall abide by the code onconflict of interest as specified in schedule II.

3. Wherever the word 'Schedule' is mentioned in principal notification, it shall be read as Schedule-I.
4. Schedule-II shall be inserted, after the Schedule-I.

SCHEDULE-II

[See Rule 4(A)]

CODE ON CONFLICT OF INTEREST FOR EXPERT MEMBER(S) OF THE COMMITTEES SPECIFIED IN RULE 4A

A. **General Principles**

1. Expert member shall disclose his/her interest, which may conflict with his/her duties.
2. Further, the Expert member shall take all steps necessary to ensure that any conflict of interest to which he/she may be subject to, does not affect any decision of the Committee.

B. **Conflict in respect of agenda**

1. An Expert member, who has any direct or indirect association with an Agenda coming up for consideration in the meeting of the Committee, shall disclose the nature of their interest prior to the meeting.
2. An Expert member shall not participate in any deliberation or discussion of the committee regarding such matters, except to provide professional advice if specifically requested by the Committee.

C. **Procedure for managing the conflict**

1. Every Expert Member shall immediately after his/her appointment as an Expert Member in the Committee, submit a declaration in Form-I of this schedule.
2. The declaration submitted in Form-I will be retained in the records of the concerned Committee.
3. Expert Member shall disclose a conflict of interest at the earliest possible opportunity in Form-II to the Chairman of the concerned Committee.
4. Expert Member shall seek determination from the Chairman of the concerned Committee, if he/she has doubt whether there is a conflict of interest or not, through the Member Secretary/Convenor of the Committee.
5. In case Chairman of the Committee determines that conflict of interest has arisen in respect of participation of an expert member in a particular agenda item, he may allow such Expert Member to recuse from that particular agenda item.

Form-I

Declaration at the time of Appointment as Expert Member of the committee

1. I, hereby submit that in the last 10 years, I have worked in the below mentioned institutions/organizations:

Sr. No.	Name of the institution/organization	From Date	Upto

2. I hereby undertake that I will provide impartial and objective decisions, drawing solely from my professional expertise.

I hereby undertake that, if a conflict arises during my tenure, I will immediately inform the Chairperson of the committee and refrain from participating in the decision-making process related to the concerned matter.

Signature

Name:

Designation:

Institutional Affiliation:

Date:

Place:

Form-II

Declaration Form for any conflict of Interest

I hereby state that, I have the following conflict of interest in respect of agenda item

.....

1. .....
2. .....
3. .....

In light of the above-mentioned conflict of interest, I may be allowed to recuse myself from the meeting.

Signature

Name:
Designation:
Institutional Affiliation:
Date:
Place:

[F. No. C-12015/3/2022-CS-III]

RAGHU KUMAR KODALI, Scientist 'G'

Note - The Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Micro-Organisms/ Genetically Engineered Organisms or Cells Rules, 1989 were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide

number G.S.R. 1037(E), dated the 5th December, 1989, which came into force vide notification number S.O. 677(E), dated 13th September, 1993, and subsequently were amended vide notification numbers G.S.R. 493(E), dated the 14th July, 2005, G.S.R. 616 (E), dated the 20th September, 2006, S.O. 1519(E), dated 23-8-2007, S.O. 411(E), dated 25-2-2008, S.O. 2519(E), dated 3-10-2008, S.O. 800(E), dated 17-3-2009, S.O. 2884(E), dated 9-11-2009, S.O. 828(E), dated 5-4-2010, S.O. 2478(E), dated 4-10-2010, G.S.R. 613(E), dated the 16th July, 2010, G.S.R. 1(E), dated the 23rd December, 2010, S.O. 2312(E), dated 30-9-2011, S.O.2303(E), dated 26-9-2012, S.O.953(E), dated 05-4-2013, S.O. 3113(E), dated 14-10-2013, S.O. 999(E), dated 01-4-2014, S.O. 2634(E), dated 09.10.2014, S.O. 940(E), dated 26-3-2015

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.01.02 15:37:06 +05'30'